(वाद सं0.-6806/18)

30.12.2019

परिवादी संजय सिन्हा उपस्थित है।

परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–1–39/प0), परिवादी के परिवाद पत्र पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन (पृ0–111–123/प0) तथा उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी के प्रतिउत्तर (पृ0–111–123/प0) का अवलोकन किया साथ–ही–साथ परिवादी को भी सुना।

प्रंसगाधीन मामला परिवादी श्री संजय सिन्हा, उच्च वर्गीय लिपिक अनुमंडल कार्यालय, खगड़िया, सम्प्रति जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, खगड़िया को तथाकथित अनुचित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अनुमंडल कार्यालय, खगड़िया से प्रशासनिक दृष्टिकोण से विरमित करने से सम्बंधित उस आदेश को निरस्त करने से सम्बंधित है जिस आदेश की धटनोत्तर सम्पुष्टि परिवादी के नियंत्री पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी, खगड़िया) द्वारा किया गया था। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त के सम्बंध मे परिवादी द्वारा पूर्व मे कई स्तरों पर अभ्यावेदन दिया गया है।

परिवादी का यह भी कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उसे तथाकथित अनुचित रूप से विरमित करने के विरूद्व उसकी ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय मे एक याचिका भी दाखिल की गई है जो वर्तमान मे विचाराधीन है।

प्रसंगाधीन मामला प्रशासनिक कार्रवाई से सम्बंधित है तथा ऐसे मामलों मे मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक की प्रथम दृष्टया यह प्रतीत ना हो कि सम्बंधित प्राधिकार द्वारा दुराशय पूर्ण भावना से किसी कर्मचारी के अधिकारों का हनन किया गया हो।

अतः उक्त के आलोक में प्रंसगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक